न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डीओ.)कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

पत्रावली संख्या 179 / 2015 वाद

रतनलाल वगै. बनाम श्री हरलाल वगैराह

दिनांक	आदेशिका	हस्ताक्षर / सूचना
22/2/24	पत्रावली पेश हुई । अधिवक्ता पक्ष. उपस्थित है । अधिवक्ता पक्ष. की बहस सुनी गई । अधिवक्ता पक्ष. को प्राप्त विभाजन फहरिस्त एवं नक्शाट्रेस पर कोई आपत्ति नही होने से तहसीलदार गढबोर से प्राप्त विभाजन फहरिस्त व नक्शा ट्रेस स्वीकार किये जाकर ग्राम गिटोरिया पटवार मण्डल खरनोटा तहसील गढबोर की जमाबन्दी सम्वत् 2067—70 के खाता संख्या 96 किता—21 रकबा 44.03.00 बीघा भूमि की स्वीकृत विभाजन फहरिस्त एवं नक्शा ट्रेस अनुसार विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है । तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी किया जाता है । स्वीकृत विभाजन फहरिस्त एवं नक्शा ट्रेस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा । पालना हेतु डिक्री की प्रमाणित प्रति व स्वीकृत विभाजन फहरिस्त व नक्शा ट्रेस तहसीलदार गढबोर को भेजा जावे । वादी का वाद स्वीकार किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया । सहायक कलक्टर (एस.डी ओ.) कुम्भलगढ जिला–राजसमन्द	